आर एन मित्तल, न्यायमूर्ति

संत राम,-अपीलार्थी,
बनाम
बेबी रेनू,-प्रतिवादी।
सिविल विविध संख्या 250-78 का सीआई।

77 की नियमित प्रथम अपील संख्या 1485 में।

2 मार्च, 1978

पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित पंजाब न्यायालय अधिनियम (1918 का 6) (X X of 1977)- धारा 39-वाद मूल्यांकन अधिनियम (1887 का VII)-धारा 8-धन वाद में वादी को वसूली की तारीख तक भविष्य का ब्याज दिया गया-अपील में प्रतिवादी को ब्याज की राशि पर भी अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है-अपील में अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्यांकन-चाहे बदला गया हो-अपील में न्यायालय शुल्क रुपये से अधिक की राशि पर भुगतान किया गया है। 20, 000-ऐसी अपील-क्या जिला न्यायाधीश द्वारा सुनी जानी है।

अभिनिर्धारित किया गया कि वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 8 के पठन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 7 पैराग्राफ v, vi, ix और x, खंड (घ) के अधीन आने वाले वादों को छोड़कर सभी प्रकार के वादों में अधिकारिता के प्रयोजन के लिए वाद का मूल्य न्यायालय फीस का भुगतान करने के समान होगा। धन की वसूली के मामलों में, न्यायालय शुल्क के प्रयोजनों के लिए मूल्य वादी द्वारा दावा की गई राशि पर निर्धारित किया जाता है। नतीजतन, अधिकारिता के उद्देश्य के लिए मुकदमे का अधिकार क्षेत्र मूल्य समान होना चाहिए। अपील दायर करने के लिए, मूल वाद का मूल्य पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 की धारा 39 के अनुसार प्रबल होगा। धारा 39 की उपधारा (1-क) में यह उपबंध है कि उच्च न्यायालय में लंबित सभी अपीलें, जिनका मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, ऐसी अपीलों में जिला न्यायाधीश को अंतरित

की जाएंगी। इस उप-धारा को उप-धारा के साथ पढ़ा जाना है (1). उपधारा (1) में विशेष रूप से यह उपबंध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री से अपील जिला न्यायाधीश को होगी जहां मूल वाद का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं था और अन्य मामलों में उच्च न्यायालय को होगी। यही सिद्धांत तब लागू होगा जब उच्च न्यायालय में लंबित किसी अपील को धारा 39 की उप-धारा (1-ए) के तहत जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाना है। इस प्रकार, यह धन वादों में अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्य है, जो यह निर्धारित करेगा कि क्या अपील को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाना है या जिला न्यायाधीश को भेजा जाना है, भले ही अपील में न्यायालय-शुल्क बीस हजार रुपये से अधिक की राशि पर भुगतान किया गया हो। (Para 9)

पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 39 के अधीन आवेदन, जैसा कि 1977 के हरियाणा अधिनियम संख्या 20 द्वारा संशोधित किया गया है, धारा 24 और 151 सी. पी. सी. प्रार्थना करती है कि अपील को निर्णय के लिए उसके माननीय न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अंबाला के न्यायालय में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता एस. के. गोयल।

प्रतिवादी की ओर से जे. वी. गुप्ता, अधिवक्ता।

न्याय

(1) यह आवेदन पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1977 द्वारा संशोधित पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 39 के तहत दायर किया गया है (जिसे इसके बाद संशोधन अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) ताकि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के न्यायालय से अपील को इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सके।

(2) संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि रुपये की वसूली के लिए एक मुकदमा। विचारण न्यायालय में 13,618 स्थापित किए गए थे। उसमें यह प्रार्थना की गई थी कि वादी को वाद की स्थापना की तारीख से डिक्री की तारीख तक ब्याज दिया जाए। वादी ने न्यायालय शुल्क और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्य 13,620 रुपये

निर्धारित किया। निचली अदालत ने 13,618 रुपये की वसूली के लिए और वाद की तारीख से वसूली की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य के ब्याज के लिए भी फैसला सुनाया। प्रतिवादी ने इस न्यायालय में एक अपील दायर की जिसमें उसने 13,618 रुपये की राशि, मूलधन और 9,656 रुपये, ब्याज का भुगतान किया, जो वाद की तारीख से अपील दायर करने की तारीख तक उपार्जित था। उस समय, उन फरमानों से संबंधित अपीलें, जिनका अधिकार क्षेत्र मूल्य 10,000 रुपये से अधिक था, उच्च न्यायालय में विचारणीय थीं। बाद में, संशोधन अधिनियम के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील के प्रयोजनों के लिए मूल्य 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। संशोधन अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि उच्च न्यायालय में लंबित सभी अपीलें, जिनका मूल्य 20,000 रुपये से अधिक नहीं था, ऐसी अपीलों में सामान्य क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश को हस्तांतरित की जाएंगी। उपरोक्त खंड को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने अपील को जिला न्यायाधीश, अंबाला के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जिन्होंने बदले में इसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के न्यायालय में निपटाने के लिए स्थानांतरित कर दिया। यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा एक प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि अपील को इस न्यायालय में फिर से स्थानांतरित किया जाए क्योंकि उसने 20,000 रुपये से अधिक की राशि पर अपील में न्यायालय शुल्क का भुगतान किया था। प्रतिवादी द्वारा याचिका का विरोध किया गया है।

(3) वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए जो एकमात्र प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि यदि वादी को वाद की तारीख से वसूली की तारीख तक भविष्य का ब्याज दिया जाता है और अपील में प्रतिवादी से ब्याज की राशि पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, क्या अधिकारिता के उद्देश्य से वाद का मूल्यांकन बदला गया है या नहीं।

(4) (इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 8 और संशोधन अधिनियम की धारा 2 का निर्देश करना आवश्यक होगा, जिसके आधार पर धारा 39 का संशोधन किया गया था। उपर्युक्त अनुभाग निम्नानुसार हैंः -

वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 8 "जहां न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, धारा 7, पैराग्राफ v, vi और ix और पैराग्राफ x, खंड (घ) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के तहत न्यायालय फीस में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों में न्यायालय फीस की गणना के लिए निर्धारित मूल्य और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए मूल्य समान होगा।

पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 2।

1968 के पंजाब अधिनियम 6 की धारा 39 का संशोधन -

पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 39 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -
(1) जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री या आदेश से एक अपील होगी-(ए) जिला न्यायाधीश को जहां मूल वाद का मूल्य जिसमें डिक्री या आदेश दिया गया था बीस हजार रुपये से अधिक नहीं था; और (बी) किसी अन्य मामले में उच्च न्यायालय को।
(1क) उच्च न्यायालय में लंबित सभी अपीलें, जिनका मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, ऐसी अपीलों में सामान्य क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश को हस्तांतरित की जाएंगी।

वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 8 के पठन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 7 पैराग्राफ v, vi, और ix और x, खंड (घ) के अधीन आने वाले वादों को छोड़कर सभी प्रकार के वादों में अधिकारिता के प्रयोजन के लिए वाद का मूल्य न्यायालय फीस का भुगतान करने के समान होगा। धन की वसूली के मामलों में, अदालत-शुल्क के उद्देश्य के लिए मूल्य वादी द्वारा दावा की गई राशि पर निर्धारित किया जाता है। नतीजतन, अधिकारिता के उद्देश्य के लिए मुकदमे का अधिकार क्षेत्र मूल्य समान होना चाहिए। अपील दायर करने के लिए, मूल वाद का मूल्य पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 39 के अनुसार प्रबल होगा। धारा 39 की उपधारा (1-क) में यह उपबंध है कि उच्च न्यायालय में लंबित सभी अपीलें, जिनका मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, ऐसी अपीलों में साधारण प्रादेशिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश को

अंतरित की जाएंगी। इस उप-धारा को उप-धारा के साथ पढ़ा जाना है (1). उपधारा (1) में विशेष रूप से यह उपबंध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री से अपील जिला न्यायाधीश को होगी जहां मूल वाद का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं था और अन्य मामलों में उच्च न्यायालय को होगी। यही सिद्धांत लागू होगा, यदि उच्च न्यायालय में लंबित किसी अपील को धारा 39 की उप-धारा (1क) के तहत जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाना है। उप-धारा (1) और (1क) की भाषा पर विचार करने के बाद मेरा विचार है कि धन वादों में अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्य यह निर्धारित करेगा कि क्या अपील उच्च न्यायालय द्वारा रखी जानी है या जिला न्यायाधीश को भेजी जानी है, भले ही अपील में न्यायालय-शुल्क का भुगतान अपीलार्थी द्वारा 20,000 रुपये से अधिक की राशि पर किया गया हो।

(5) उपरोक्त दृष्टिकोण में, मैं शैलेंद्र कुमार पालित और अन्य बनाम हरि चरण साधुखान और अन्य मामलों में कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से दृढ़ हूं। उस मामले में 4,477.2 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमा ब्याज और लागत के साथ-साथ उपर्युक्त राशि के लिए तय किया गया था। प्रारंभिक डिक्री की राशि 6,357.7 रुपये थी। एक विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या अपील उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश के न्यायालय में विचारणीय थी। उस न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि वाद का मूल्य उस राशि के रूप में लिया जाना था जिस पर वाद में दावा किया गया था। इसी तरह का दृष्टिकोण लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा तुमान सिंह बनाम बीज और मथुरा दास पुरी बनाम जलाल दीन और अन्य मामलों में लिया गया था।

(6) याचिकाकर्ता जियास के विद्वान वकील ने गुरुपरसाद खुंड बनाम जुग्गचंदर और एक अन्य, और रामानंद सिंह और अन्य बनाम सूरज प्रसाद सिंह और अन्य का उल्लेख किया। इन मामलों में, जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, वह यह था कि प्रिवी काउंसिल/सुप्रीम कोर्ट में अपील के प्रयोजनों के लिए विषय वस्तु के मूल्य को कैसे गिना जाए। मेरे विचार में, उनमें अनुपात वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।

(7) ऊपर दर्ज कारणों से, याचिका विफल हो जाती है और उसे लागत के

साथ खारिज कर दिया जाता है। काउंसलिंग शुल्क रु 50.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा